

# चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

(1970 के संसदीय अधिनियम संख्या 16 द्वारा संस्थापित)

## विज्ञप्ति

शिक्षक अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निम्नलिखित शिक्षुओं का चयन किया जाना है। चयनित शिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षक अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा। शिक्षुओं का विवरण ट्रेडवाइज निम्न प्रकार से है:

Sr. No.	Apprentices Trade	Number of Apprentices Trade Wise
1.	C.O.P.A.	15
2	STENO (ENGLISH)	23
3	STENO (HINDI)	07
4	CARPENTER	36
5	FITTER	25
6	PAINTER	14
7	WELDER	16
8	MECHANIC (TRACTOR)	01
9	MECHANIC (DIESEL)	07
10	CATERING & HOSPITALITY ASSISTANT	01
11	LABORATORY ASSISTANT (CHEMICAL PLANT)	06
12	ELECTRICIAN	37
13	PLUMBER	25
14	TURNER	01
15	COMPUTER HARDWARE & NETWORK MAINTENANCE	01
16	DRESS MAKING	02
17	SEWING TECHNOLOGY	02
18	MECHANIC (REF. & A.C.)	07
	<b>TOTAL</b>	<b>226</b>

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट ([apprenticeshipindia.gov.in](http://apprenticeshipindia.gov.in)) पर दिनांक 29-11-2022 से 06-12-2022 को दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार नं., आई.डी. (केवल वोटर कार्ड, डी.एल., पासपोर्ट), मैट्रिक प्रमाण पत्र व आई.टी.आई. विभाग द्वारा जारी आई.टी.आई. पास का मूल प्रमाण पत्र (with marks) ही अपलोड करें। कृपया अपनी शिक्षुता प्रोफाइल को 100% पूर्ण करें, अन्यथा इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिस उम्मीदवार द्वारा दिनांक 29-11-2022 से पहले या दिनांक 06-12-2022 के बाद ऑनलाइन आवेदन किया है, वे आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। उम्मीदवार को कार्यालय में कोई हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। सफल शिक्षुओं का चयन आई.टी.आई. मार्कशीट अंकों के अनुसार केवल मैरिट आधार पर ही किया जाएगा। उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित कर ले कि उस द्वारा पूर्व में किसी भी व्यवसाय (ट्रेड) में शिक्षुता ग्रहण नहीं की हो। यदि वह ऐसा किया पाया जाता है तो यह दंडनीय अपराध है।

हस्ता.

नोडल ऑफिसर (Apprentice)

सीसीएस एचएयू, हिसार